

(7)


पृष्ठ सं०-

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

26-03-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अधिवक्ता द्वारा द्वितीय पत्र अनुपस्थित।
उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि
पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद
कालवाप्त हो गया है। अतः वाद
में अभिलेख की कारवाही बन्द की
जाती है।


26/3/18
कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुण्ड (सैची)